संख्याः 01 /2023-4123/58-2022-429/2015

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 06 जनवरी, 2023**

विषयः पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत पोर्टेबुल स्प्रिंकलर/लार्ज वायल्यूम (रेन गन) के लाभार्थी कृषकों को 75एम0एम0/90एम0एम0 पाइप की सुविधा अनुमन्य किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-321/एम0आई0-45/ 2022-23, दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संयुक्त सचिव, आर0एफ0एस0 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 08.12.2022 को सम्पन्न बैठक में प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं जल स्रोत से डिस्चार्ज के दृष्टिगत 02 हेक्टेयर अथवा 02 हेक्टेयर से कम भू- क्षेत्रफल के लाभार्थी कृषकों को 75एम0एम0 के पाइप के साथ-साथ 90एम0एम0 पाइप की अनुमन्यता पर लिये गये निर्णय से अवगत कराया गया है।

2. उक्त निर्णय के क्रम में कृषकों की मांग एवं जल स्रोत के स्पेसिफिकेशन 02 हेक्टेयर से कम भूमि के लिये 75एम.एम./90एम.एम. पाइप की अनुमन्यता के संबंध में जनपदीय उद्यान अधिकारियों को आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पर ड्राप मोर क्राप कम्पोनेन्ट की आपरेशनल गाईडलाइन के प्रस्तर-11.3.2 में पोर्टेबुल स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम में 63 एम.एम., 75 एम.एम. एवं 90 एम.एम. के पाईप की कास्ट हेक्टेयर क्षेत्रफल के अनुसार दी गयी है। इसी प्रकार प्रस्तर-11.6.3 में लार्ज वायल्यूम स्प्रिंकलर (रेनगन) हेतु सिस्टम में 63 एम.एम., 75 एम.एम. एवं 90 एम.एम. के पाईप की कास्ट हेक्टेयर क्षेत्रफल के अनुसार दी गयी है। भारत सरकार की गाइडलाईन के अनुसार 02 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल पर 90एम0एम0 पाइप पर अनुदान अनुमन्य नहीं है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. अतः 02 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में 90एम0एम0 पाइप की अनुमन्यता इस शर्त के साथ होगी कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पर ड्राप मोर क्राप कम्पोनेन्ट की आपरेशनल गाईडलाइन के प्रस्तर-11.3.2 एवं प्रस्तर-11.6.3 के अनुरूप ही 02 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में अनुदान देय होगा। अतिरिक्त लागत का वहन लाभार्थी कृषक द्वारा स्वयं किया जायेगा।

भवदीय,

आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।

संख्याः 01 /2023-4123(1)/58-2022 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) निजी सचिव, कृषि सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
(3) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(10) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
(11) गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(12) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(13) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(14) बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(15) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(16) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(17) समस्त संयुक्त निदेशक, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र/मुख्य उद्यान विशेषज्ञ/सिस्ट्रस विशेषज्ञ, उत्तर प्रदेश।

(18) समस्त उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।

(19) समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(20) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in